INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 1 | FEBRUARY - 2024

अम्बेडकर का महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष

डॉ. पिंकी
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी.

सारांश:

डॉ. अंबेडकर - एक दृढ़ नायक और गहरे विद्वान, ने समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत में महिलाओं की उन्नति की राह में रुकावटों को तोड़ा। उन्होंने हिंदुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए सामान्य नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करके ठोस और ईमानदार प्रयासों की नींव रखी। प्रस्तुत पत्र डॉ. अंबेडकर के स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत में महिलाओं की समस्याओं पर दृष्टिकोण और इसके वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करने का प्रयास है।

डॉ. अंबेडकर ने 1920 में अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ कठोर प्रचार किया और इसके लिए 1920 में *मूक नायक* और 1927 में *बहिष्कृत भारत* नामक पत्रिका की शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने लिंग समानता और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और पिछड़े वर्गों और महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया। डॉ. अंबेडकर का महिलाओं को बोलने के लिए प्रोत्साहन तब देखा गया जब राधाबाई वाडले ने 1931 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बंबई विधान सभा में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन के उपायों का समर्थन किया।

डॉ. बाबासाहेब ने महिलाओं के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, यहां तक कि वेश्यावृत्ति जैसे दुराचारों और पेशेवरों में भी वे शामिल थे। अंबेडकर ने गरीब, अशिक्षित महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी प्रणाली जैसे अन्यायपूर्ण और सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को भारतीय राजनीति की शब्दावली और संविधान में समुचित रूप से शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जोर दिया और सभा में सुधारों और संशोधनों की सिफारिश की। उन्होंने सभी संसदीयसदस्यां से इस बिल को संसद में पारित करने में मदद करने का आह्वान किया। अंततः, उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी गहरी चिंता और भावना उनके हर शब्द और वाक्य से व्यक्त होती है।

कीवर्ड्स: - महिला सशक्तिकरण, हिंदू कोड बिल, पूर्ण समानता, भारत।

I. प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अंबेडकर 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रमुख बौद्धिक नेताओं में से एक थे। पॉल बारन, एक प्रमुख मार्क्सवादी अर्थशास्त्री, ने अपनी एक निबंध में "बौद्धिक श्रमिक" और बौद्धिक के बीच एक अंतर किया था। उनके अनुसार, बौद्धिक श्रमिक वह है जो अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग अपनी आजीविका कमाने के लिए करता है, जबकि बौद्धिक वह है जो इसे आलोचनात्मक विश्लेषण और सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग करता है। डॉ. अंबेडकर बारन की इस परिभाषा के अच्छे उदाहरण हैं। डॉ. अंबेडकर, एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा परिभाषित 'ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल' का आदर्श उदाहरण हैं, अर्थात वह जो एक समग्र सामाजिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व और विचार व्यक्त करता है।

डॉ. अंबेडकर - दृढ़ नायक और गहरे विद्वान - ने दुनिया की कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों से उच्चतम शैक्षिक सम्मान प्राप्त किए। उन्होंने समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। यह तथ्य हाल ही में जून 2012 में *हिस्ट्री टीवी 18* और *सीएनएन आईबीएन* द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण द्वारा प्रमाणित हुआ, जिसमें पूछा गया था "महात्मा गांधी के बाद कौन सबसे महान भारतीय है?" इस सवाल का उत्तर देने वाले प्रतियोगियों में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल आदि शामिल थे। अंतिम समग्र रैंकिंग तीन तरीकों से की गई: जूरी द्वारा रैंकिंग (ऑनलाइन और ग्राउंड), पॉपुलर वोट्स द्वारा रैंकिंग, और मार्केट रिसर्च द्वारा रैंकिंग। अंततः डॉ. बी.आर. अंबेडकर को विजेता घोषित किया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने परिणाम घोषित होने पर कहा, "डॉ. अंबेडकर की धरोहर को कुछ विशेष हितों के अनुसार विकृत किया गया है। वह एक महान विद्वान, संस्थापक और आर्थिक विचारक थे।"

डॉ. अंबेडकर केवल भारतीय संविधान के निर्माता नहीं थे; वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, विचारक, अर्थशास्त्री, संपादक, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक और भारत में महिलाओं की उन्नति की दिशा में बंधनों को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने हिंदुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए सामान्य नागरिक संहिता संहिताबद्ध करने के द्वारा ठोस और ईमानदार प्रयासों की नींव रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सर्वांगीण विकास के अवसर दिए जाने चाहिए, खासकर सामाजिक शिक्षा, उनकी भलाई और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में। उन्होंने जोर दिया कि भारत की हर महिला को उसका उचित हिस्सा दिया जाए और महिलाओं की गरिमा और शालीनता की रक्षा करना आवश्यक है।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर हमेशा महिलाओं द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलनों में विश्वास करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समाज के हर वर्ग की महिलाएं विश्वास में ली जाएं, तो वे सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं ने सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करनेमें बहुत बड़ा और सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति की गतिविधियों में मित्र के रूप में भाग लेना चाहिए, लेकिन उसे गुलामी की जिंदगी को नकारने का साहस भी दिखाना चाहिए। उसे समानता के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। अगर सभी महिलाएं इसे अपनाती हैं, तो उन्हें वास्तविक सम्मान मिलेगा और उनकी अपनी पहचान होगी।

II. उद्देश्य, विधियाँ और सामग्री

वर्तमान पत्र का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को उजागर करना है, विशेष रूप से स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के मुद्दों पर, और उनके विचारों की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता पर

चर्चा करना है। इस अध्ययन के लिए द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया है, जिसमें इंटरनेट, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र, प्रकाशित शोध पत्र, किताबें और डॉ. अंबेडकर द्वारा संसद में, विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में दिए गए भाषण शामिल हैं। यह डेटा स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के भारत में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

III. विश्लेषण और चर्चा

डॉ. अंबेडकर ने 1920 में अपने आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "हम जल्द ही बेहतर दिनों को देखेंगे और हमारी प्रगति तब तेजी से बढ़ेगी यदि पुरुष शिक्षा के साथ-साथ महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए..." उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ कड़ा प्रचार शुरू किया और इसके लिए 1920 में "मूकनायक" और 1927 में "बहिष्कृत भारत" पत्रिकाएं शुरू कीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने लिंग समानता और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और पिछड़े वर्गों के साथ-साथ महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया।

अंबेडकर का महिलाओं के सवाल पर दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, पुरुषों के समान व्यवहार, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार दिया, वैश्विक नारीवादियों की मांगों के समान था। जैसा कि जे. एस. मिल ने "द सब्जेक्शन ऑफ वुमन" में कहा था, एक लिंग का दूसरे से कानूनी अधीनता स्वाभाविक रूप से गलत है और यह मानव विकास में प्रमुख बाधा है; इसे पूरी समानता के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें किसी एक पक्ष पर कोई विशेषाधिकार या शक्ति नहीं हो और न ही दूसरे पक्ष पर कोई अक्षमता हो। अंबेडकर भी महिलाओं के लिए काम करने के बारे में इसी दृष्टिकोण को मानते थे (More 2011)।

1928 में, मुंबई में एक महिला संघ की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष रामाबाई अंबेडकर (डॉ. अंबेडकर की पत्नी) थीं। 1930 में नासिक में कलराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में पांच सौ महिलाओं ने भाग लिया और उनमें से कई पुरुषों के साथ गिरफ्तार होकर जेलों में दुर्व्यवहार का शिकार हुईं। 1931 में राधाबाई वाडले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वह अंबेडकर के महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का परिचायक था: "यह जीने से बेहतर है कि सौ बार मरे, लेकिन अपमान से भरी जिंदगी न जिएं। हम अपने अधिकारों के लिए अपनी जान भी दे देंगे।"

डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं की ताकत और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में उनके योगदान पर विश्वास किया। महाद सत्याग्रह में 300 महिलाओं ने भाग लिया और एक बैठक में 3000 महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं समुदाय की प्रगति का माप महिलाओं की प्रगति से करता हूं। हर लड़की जो शादी करती है, उसे अपने पति के साथ मित्र के रूप में खड़ा होना चाहिए, और उसे गुलामी की जिंदगी से इनकार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि यदि आप यह सलाह मानते हैं, तो आप खुद को सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे।"

उन्होंने महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों का समर्थन किया और 1942 में बॉम्बे विधान सभा में मातृत्व लाभ विधेयक पेश किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए। डॉ. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर मुद्दे उठाए। इस विधेयक का विरोध कई राजनीतिक नेताओं द्वारा किया गया था, जिसके बाद डॉ. अंबेडकर ने संसद में विधेयक को अस्वीकार किए जाने पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर आधारित था, जो समानता पर आधारित हो, न कि ब्रह्म समाज या आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों पर, क्योंकि उनके प्रयास केवल उच्च वर्गों तक सीमित थे। डॉ. अंबेडकर ने स्मृतियों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान उच्च जातियों के व्यवहार से मिली प्रतिक्रिया ने उनके हिंदू दर्शन और समाज पर विचारों को ठोस रूप दिया।

अंबेडकर से प्रेरित होकर, कई महिलाओं ने विभिन्न विषयों पर लिखा। तुलसीबाई बंसीदे ने "चोखामेला" नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। यह दिखाता है कि डॉ. अंबेडकर ने गरीब, अशिक्षित महिलाओं में जागरूकता पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा, "मैं महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों में विश्वास करता हूं। यदि उन्हें सचमुच विश्वास में लिया जाए, तो वे समाज की वर्तमान चित्रण को बदल सकती हैं, जो बहुत ही दयनीय है। अतीत में, उन्होंने कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" उन्होंने हमेशा महिलाओं को उनके काम और कठिनाइयों के लिए सम्मानित किया।

डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के सुधार के लिए जीवन भर संघर्ष किया, यहां तक कि वे उन बुरी प्रथाओं में भी शामिल महिलाओं के साथ काम करते रहे, जैसे वेश्यावृत्ति। कमाठीपुरा में डॉ. अंबेडकर के विचारों और उपदेशों से प्रेरित होकर, एक व्यक्ति डेविड ने अपनी वेश्यावृत्ति का पेशा छोड़ दिया और अन्य वेश्याओं को भी यही सलाह दी कि वे अपने पेशे को छोड़कर सम्मानपूर्ण जीवन जीएं।

मनुस्मृति में, मनु ने न केवल महिलाओं के प्रति तिरस्कार दिखाया, बल्कि उन्हें गुलाम, बुद्धिहीन, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित किया और उन्हें यज्ञों में भाग लेने से वंचित किया। भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं को उन प्राचीन कानूनों से मुक्त करने के लिए उचित समझा, जो महिलाओं को दीन-हीन और गुलाम बनाते थे। उन्होंने इसलिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को समुचित रूप से शामिल करने का प्रयास किया, जिनमें:

- **अनुच्छेद 14** - राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर।
- **अनुच्छेद 15** - लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 15(3)** - महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 39** - समान आजीविका के साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन।
- **अनुच्छेद 42** - कार्य की मानवीय स्थितियां और मातृत्व लाभ।
- **अनुच्छेद 51(ए)(C)** - महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का कर्तव्य।
- **अनुच्छेद 46** - कमजोर वर्गों के लोगों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
- **अनुच्छेद 47** - लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की राज्य की जिम्मेदारी।

हिंदू कोड बिल, जो आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण विधायी उपाय था, ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, गोद लेने के अधिकार, और समान विवाह के अधिकार दिए, जिन्हें मनु ने पहले नकारा था। डॉ. अंबेडकर ने कहा, "मैं इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महान राजनीतिक विचारक बर्क ने जो अपनी किताब फ्रेंच क्रांति

के खिलाफ लिखी, उसमें कहा था कि जो लोग सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें मरम्मत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, वह यही है: यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को बनाए रखना चाहते हैं तो जहां सुधार की जरूरत है, वहां सुधार करने से न हिचकिचाएं।"

डॉ. अंबेडकर के संघर्ष और उनके योगदान के कारण, महिलाओं को अब उन अधिकारों का लाभ मिल रहा है, जो पहले उनसे छीन लिए गए थे, और हिंदू सामाजिक कानून अब पश्चिमी देशों के कानूनी ढांचे के समकक्ष हो गए हैं।

IV. निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अंबेडकर के निधन पर शोक संदेश में कहा था, "डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर हिंदू समाज के सभी उत्पीड़नकारी पहलुओं के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे।' उनका समाज, जो लिंग समानता पर आधारित था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए उनके विचार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए आज भी महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने सभी महिलाओं की जीवन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जोर दिया, जिसमें विधानसभा में सुधार और संशोधनों की आवश्यकता थी। उन्होंने संसद के सभी सदस्य से इस विधेयक को पारित करने में मदद करने का आह्वान किया। अंततः, इस मुद्दे पर असहमति के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉ. अंबेडकर के शिक्षाएँ और विचार न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति गहरी चिंता और भावना उनके प्रत्येक वाक्य और शब्द से प्रकट होती है। उनकी भारतीय संसद में अंतिम भाषण में हम उनके महिलाओं के प्रति सम्मान और भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कॉनेल के विचारों का उद्धरण दिया: "कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता, कोई महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता।"

अपने प्रसिद्ध पुस्तक "पाकिस्तान और भारत का विभाजन" में डॉ. अंबेडकर ने मुस्लिम महिलाओं और उनके धार्मिक परंपराओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जैसे कि पर्दा प्रणाली, विवाह आदि। मुस्लिम महिलाओं को विभिन्न धार्मिक परंपराओं के तहत दबाया गया था। डॉ. अंबेडकर का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर था, और उन्होंने हमेशा महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का योगदान न केवल भारतीय समाज के सुधार में था, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए उनका संघर्ष एक स्थायी धरोहर है।

संदर्भ

1. आहिरी, डी.सी. (1990). *द लेगसी ऑफ डॉ. अंबेडकर*, बी. आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली।
2. अंबेडकर, बी.आर. (1987). *महिलाएं और प्रतिविप्लव: हिंदू महिलाओं के रहस्यों* in डॉ. बाबा साहब अंबेडकर: लेख और भाषण, खंड 3, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।

3. आर्य, सुधा. (2000). *महिला, लिंग समानता और राज्य*, दीप एंड दीप पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली।
4. कीर, डी. (1987). *डॉ. अंबेडकर: जीवन और मिशन*, मुंबई।
5. गुनजाल, वी.आर. (2012). *डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महिला सशक्तिकरण*, सोशल वर्क, खंड XI (1), पृष्ठ 84-85।
6. सिंगारिया, एम.आर. (2013). *डॉ. बी. आर. अंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में*, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन, खंड 2, अंक (3), पृष्ठ 24-27। ऑनलाइन उपलब्ध: www.ijhssi.org, खंड 2, अंक 31, मार्च 2013, पृष्ठ 24-27।